

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (एन-350/92)/अलेसे-II/ ²³⁶⁶⁷⁻⁷⁰ दिनांक :- 23.10.2015

कार्यालय आदेश

कार्यालय कोषाधिकारी, नागौर ने अपने पत्र क्रमांक 645 दिनांक 28.09.2015 के द्वारा अवगत कराया है कि श्री नारायण प्रकाश व्यास, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नं. 3290) का दिनांक 22.09.2015 को निधन हो गया है। अतः श्री व्यास का निधन हो जाने के कारण इनका नाम दिनांक 22.09.2015 से राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग से पृथक किया जाता है।

वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री नारायण प्रकाश व्यास, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नं. 3290) के विरुद्ध वर्तमान में :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



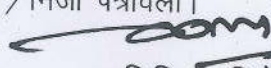
(भास्कर शर्मा)

निदेशक

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (एन-350/92)/अलेसे-II/ ²³⁶⁶⁷⁻⁷⁰ दिनांक :- 23.10.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, नागौर को उनके पत्र क्रमांक 645 दिनांक 28.09.2015 एवं 716 दिनांक 16.10.2015 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि श्री व्यास के आश्रितों में से अनुपात्मक नियुक्ति हेतु पात्रता हो तो निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आपके माध्यम से इस निदेशालय में प्रेषित करें।
2. श्रीमति इन्दू व्यास पत्नी स्वः श्री नारायण प्रकाश व्यास, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, बंशी कुंज, 2/60, व्यास कॉलोनी, नागौर, राजस्थान।
3. संयुक्त निदेशक, विधि/जॉच।
4. उपनिदेशक, (ए.सी.पी.) कार्यालय हाजा।
5. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
6. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/गार्ड फाईल/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)